न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती सायर बाई पत्नी मोहनलाल जी महाजन, जाति जैन, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजेन्द्र कुमार पिता मोहनलाल जी महाजन, जाति जैन, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. घीसूलाल (मृतक) के बजाय :–

1/1.श्रीमती पति बाई पत्नी स्वर्गीय घीसूलाल जी महाजन, निवासी खेमली

1/2.शान्तिलाल पिता स्वर्गीय घीसूलाल जी महाजन (मृतक) के बजाय :–

1/2/1.श्रीमती मीरा बाई पत्नी स्व॰ शांतिलाल जी महाजन, निवासी खेमली

1/2/2.पवन कुमार पिता स्वर्गीय शांतिलाल जी महाजन, निवासी खेमली

1/2/3.श्रीमती जतन बाई पुत्री स्व॰ शांतिलाल जी महाजन, निवासी खेमली

1/2/4.सुश्री विमला पुत्री स्वर्गीय शांतिलाल जी महाजन, निवासी खेमली

1/3.बसन्तीलाल पिता स्वर्गीय घीसूलाल जी महाजन, निवासी खेमली

1/4.प्रकाशचन्द्र पिता स्वर्गीय घीसूलाल जी महाजन, निवासी खेमली

1/5.रमेशचन्द्र पिता स्वर्गीय घीसूलाल जी महाजन, निवासी खेमली

1/6.महेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय घीसूलाल जी महाजन, निवासी खेमली

1/7.श्रीमती सुशीला पुत्री स्व॰ घीसूलाल जी महाजन पत्नी नाथूलाल जी मेहता, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/8.श्रीमती कला देवी पुत्री स्व॰ घीसूलाल जी महाजन पत्नी मनोहरलाल जी, जाति पगारिया, निवासी पलाना

1/9.श्रीमी उषा पुत्री स्वर्गीय घीसूलाल जी महाजन पत्नी हीरालाल जी तलेसरा, निवासी मावली (मृतक) के बजाय :–

1/9/1.हीरालाल तलेसरा, निवासी भाग्यलक्ष्मी नॉवल्टी प्लाट नंबर 35, दुकान नबंर 38, मल्लाड़ मालोनी, वेस्ट कॉलोनी, मुम्बई (महाराष्ट्र)

1/9/2.महावीर पिता हीरालाल तलेसरा, नि॰ भाग्यलक्ष्मी नॉवल्टी प्लाट नंबर 35, दुकान नबंर 38, मल्लाड़ मालोनी, वेस्ट कॉलोनी, मुम्बई (महाराष्ट्र)

1/9/3.लोकेश पिता हीरालाल तलेसरा, नि॰ भाग्यलक्ष्मी नॉवल्टी प्लाट नंबर 35, दुकान नबंर 38, मल्लाड़ मालोनी, वेस्ट कॉलोनी, मुम्बई (महाराष्ट्र)

1/9/4.श्रीमती आशा पत्नी राकेश जी ओस्तावल, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/10. श्रीमती मंजू देवी पुत्री स्वर्गीय घीसूलाल जी महाजन पत्नी गणेशलाल बड़ालमिया, निवासी घासा

2. श्रीमती दिलखुश कुमारी पुत्री स्वर्गीय मोहनलाल जी महाजन, जाति जैन, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. श्रीमती चन्द्रकांता पुत्री स्वर्गीय मोहनलाल जी महाजन, जाति जैन, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4. श्रीमती जमना पुत्री स्वर्गीय मोहनलाल जी महाजन, जाति जैन, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली

दिनांक 16.09.2016 प्र॰सं॰ 110/13

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री मन्नाराम डांगी अभि.रे.सं. 1/1 व 1/4 से 1/6

3. श्री राजन कोठारी अभिभाषक रेस्पो. सं. 2, 3, 4

4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं.

———::———

निर्णय दिनांक

25—04—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मृतक घीसूलाल द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेमली में हाल आराजी नंबर 3280 व 3288 किता 2 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व विपक्षीयों का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजियात का मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 के पति के बीच बरीब 30—35 वर्ष पूर्व पारिवारिक फारक्ती से विभाजन हो चुका है एवं उक्त बंटवारे अनुसार आराजी नंबर 3280 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि मुझ प्रार्थी के रखी गयी तथा आराजी नंबर 3288 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि विपक्षीगण के हिस्से में रखी गयी, तब से उपरोक्त विभाजन अनुसार प्रार्थी का आराजी नंबर 3280 पर कब्जा चला आ रहा है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण सहखातेदार दर्ज होने से प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। अतएवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि के विभाजन का वाद हम विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें

समय लगेगा। उक्त भूमि में हम विपक्षीगण का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं। अतएवं उसके 1/2 हिस्से बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 16–09–2016 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17–10–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1, 1/4 से 1/6 की ओर से वकील श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से वकील श्री राजन कोठारी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने एक प्रकार से प्रकरण को जैसे तैसे निपटाने की गरज से उक्त आदेश पारित किया है तथा आंख मीचकर मूलवाद के निर्णय तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अतएवं स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा दोनों आराजियात बाबत् अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करने हतु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर. डी. 1982 पेज 365, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 25, आर.आर.टी. 2011–12 (Supp.) पेज 192, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1115 की न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज करने की प्रार्थना की तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2017 (3) डी.एन.जे. (राज.) पेज 1171 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस व प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया तो यह पाया कि राजस्व रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से के तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भी 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए मूलवाद के निस्तारण तक दोनों पक्षों को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत है, क्योंकि पक्षकारों के हक अधिकारों का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य के आधार पर ही होगा। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का जो आदेश पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से की खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–09–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर